

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383] No. 383] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 4, 2017/आश्विन 12, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 4, 2017/ASVINA 12, 1939

भारतीय स्टेट बैंक अधिसूचना

मुम्बई, 4 अक्तूबर, 2017

सं. बीओडी&जीओ/बीकेके/470.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 50 की उप-धारा के खंड ण के साथ पठित उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक का केन्द्रीय बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् तथा केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि विनियमन, 2014 में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:—

- 1. (1) इन विनियमों को भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि (संशोधन) विनियम, 2017 कहा जाएगा।
 - (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि विनियम, 2014 के विनियम 23 में -
- (क) उप-नियम (2) के उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित उपबंधों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"परन्तु यह कि 01.11.1987 को या इसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए सदस्यों के लिए पेंशन की अधिकतम राशि ₹ 2400/- प्रति माह से बढ़ाकर ₹ 3775/- प्रति माह तक की जाएगी (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक):

परन्तु यह भी कि 01.11.1992 (अवार्ड स्टाफ) अथवा 01.07.1993 (पर्यवेक्षी स्टाफ) को या इसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के लिए अखिल भारतीय श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के तिमाही औसत में 1148 बिन्दु तक मूल वेतन में महंगाई भत्ते का समायोजन करने के बाद पेंशन की अधिकतम राशि ₹2400/- प्रति माह से बढ़ाकर ₹4250/- प्रति माह तक की जाएगी (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक):

परन्तु आगे यह है कि दिनांक 01.11.1992 (अवार्ड स्टाफ) अथवा 01.07.1993 (पर्यवेक्षी स्टाफ) से प्रभावी वेतनमानों में वास्तविक वेतन आहरित करके सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के लिए दिनांक 01.03.1999 से पेंशन की अधिकतम राशि इस संबंध में आगे संशोधन होने तक इस तरह से निकाली जाएगी-

6054 GI/2017 (1)

- (क) यदि पिछले बारह महीने की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का औसत ₹ 8500/- प्रति माह तक है, तो पिछले बारह महीने की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन के औसत का 50 प्रतिशत (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक); और
- (ख) यदि पिछले बारह महीने की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का औसत ₹ 8500/- प्रति माह से अधिक है तो न्यूनतम ₹4250/- के अध्यधीन पिछले बारह महीने की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन के औसत का 40 प्रतिशत (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक):

परन्तु यह भी कि दिनांक 01.11.1997 (अवार्ड स्टाफ) अथवा 01.04.1998 (पर्यवेक्षी स्टाफ) से प्रभावी वेतनमान में वास्तविक वेतन आहरित करके सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के लिए 01.11.1997 (अवार्ड स्टाफ) अथवा 01.04.1998 (पर्यवेक्षी स्टाफ) से पेंशन की अधिकतम राशि इस संबंध में अगले संशोधन तक औसत मूल वेतन को 1684 से विभाजित करके तथा 1616 से गुणा करके तदनुरूपी स्तर प्राप्त करके निम्नानुसार निकाली जाएगी:

- (क) यदि पिछले बारह महीने की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का औसत ₹ 13666/- प्रति माह तक है, तो पिछले बारह महीने की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन के औसत का 50 प्रतिशत (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक); और
- (ख) यदि पिछले बारह महीने की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का औसत ₹ 13666/- प्रति माह से अधिक है, तो न्यूनतम ₹ 6833/- के अध्यधीन पिछले बारह महीने की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन के औसत का 40 प्रतिशत (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक):

परन्तु आगे यह है कि दिनांक 01.11.1997 (अवार्ड स्टाफ) अथवा 01.04.1998 (पर्यवेक्षी स्टाफ) से प्रभावी वेतनमानों में वास्तविक वेतन आहरित करके सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के लिए दिनांक 01.05.2005 से पेंशन की अधिकतम राशि इस तरह से निकाली जाएगी-

- (क) यदि पिछले बारह महीने की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का औसत ₹ 14240/- प्रति माह तक है, तो पिछले बारह महीने की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन के औसत का 50 प्रतिशत (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक); और
- (ख) यदि पिछले बारह महीने की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का औसत ₹ 14240/- प्रति माह से अधिक है, तो न्यूनतम ₹ 7120/- के अध्यधीन पिछले बारह महीने की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन के औसत का 40 प्रतिशत (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक):

परन्तु आगे यह भी है कि दिनांक 01.05.2005 से, दिनांक 01.11.2002 से प्रभावी वेतनमानों में वास्तविक वेतन आहरित करके सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के लिए पेंशन की अधिकतम राशि निम्नानुसार रहेगी और इसके बाद इस संबंध में आगे संशोधन होने तक इसी तरह से निकाली जाएगी-

- (क) यदि पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का औसत ₹ 21040/- तक + व्यावसायिक योग्यता वेतन + प्रति माह स्थायी वैयक्तिक वेतन तक है, तो पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन के औसत का 50 प्रतिशत (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक); और
- (ख) यदि पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का औसत ₹ 21040/- से अधिक + व्यावसायिक योग्यता वेतन + प्रति माह स्थायी वैयक्तिक वेतन है, तो न्यूनतम ₹ 10520/- प्रति माह + 50 प्रतिशत व्यावसायिक योग्यता वेतन + 50 प्रतिशत स्थायी वैयक्तिक वेतन, जहां कहीं लागू हो, के अध्यधीन पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन के औसत का 40 प्रतिशत (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक):

परन्तु आगे यह भी है कि दिनांक 01.11.2007 से, दिनांक 01.11.2007 से प्रभावी वेतनमानों में वास्तविक वेतन आहरित करके सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के लिए पेंशन की अधिकतम राशि निम्नानुसार रहेगी और इसके बाद इस संबंध में आगे संशोधन होने तक इसी तरह से निकाली जाएगी-

- (क) यदि पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का औसत ₹ 31500/- तक है, तो पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का 50 प्रतिशत + 50 प्रतिशत व्यावसायिक योग्यता वेतन + स्थायी वैयक्तिक वेतन के वृद्धिशील घटक का 50 प्रतिशत, जहाँ कहीं लागू हो, (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक); और
- (ख) यदि पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का औसत ₹ 31500/- से अधिक है, तो न्यूनतम ₹15750/- प्रति माह के अध्यधीन पिछले बारह महीने की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वेतन के औसत का 40 प्रतिशत + 50 प्रतिशत व्यावसायिक योग्यता वेतन + 50 प्रतिशत स्थायी वैयक्तिक वेतन, जहाँ कहीं लागू हो, (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक):

परन्तु आगे यह भी है कि दिनांक 01.11.2012 से, दिनांक 01.11.2012 से प्रभावी वेतनमानों में वास्तविक वेतन आहरित करके सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के लिए पेंशन की अधिकतम राशि निम्नानुसार रहेगी और इसके बाद इस संबंध में आगे संशोधन होने तक इसी तरह से निकाली जाएगी-

- (क) यदि पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का औसत ₹ 51490/- तक है, तो पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का 50 प्रतिशत + 50 प्रतिशत व्यावसायिक योग्यता वेतन + स्थायी वैयक्तिक वेतन के वृद्धिशील घटक का 50 प्रतिशत, जहाँ कहीं लागू हो, (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक); और
- (ख) यदि पिछले बारह महीने की पेंशनयोग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वास्तविक वेतन का औसत ₹ 51490/- से अधिक है, तो न्यूनतम ₹ 25745/- प्रति माह के अध्यधीन पिछले बारह महीने की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक वेतन के औसत का 40 प्रतिशत + 50 प्रतिशत व्यावसायिक योग्यता वेतन + 50 प्रतिशत स्थायी वैयक्तिक वेतन, जहाँ कहीं लागू हो, (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में यथानुपातिक):
- (ख) उप-विनियम (9), खंड (क) में "उन सदस्यों के मामले में जिनकी बैंक की पेंशनयोग्य सेवा 01.11.1987 से 31.10.1993" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "उन सदस्यों के मामले में जिनकी बैंक की पेंशनयोग्य सेवा 01.11.1987 से 31.10.1992 (अवार्ड स्टाफ) अथवा 30.06.1993 (पर्यवेक्षी स्टाफ)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ग) उप-विनियम (10), खंड (क) में "उन सदस्यों के मामले में जो बैंक की सेवा से 01.11.1993 के प्रथम दिन या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हों" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "उन सदस्यों के मामले में जो बैंक की सेवा से 01.11.1992 (अवार्ड स्टाफ) अथवा 01.07.1993 (पर्यवेक्षी स्टाफ) के प्रथम दिन या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हों" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (घ) उप-विनियम (12) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "12(i) महंगाई राहत, संराशीकरण के उपरांत भी संपूर्ण मूल पेंशन पर अनुमत होगी।
- (ii)(क) उन सदस्यों के मामले में जो बैंक की सेवा से 01.11.1997 (अवार्ड स्टाफ) अथवा 01.04.1998 (पर्यवेक्षी स्टाफ) के प्रथम दिन या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हों, औद्योगिक श्रमिकों हेतु अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1960=100 की श्रृंखला में 1616 बिन्दुओं के ऊपर की 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि हेतु महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा या प्रत्येक गिरावट हेतु महंगाई राहत, जैसा भी प्रकरण हो, की वसूली की जाएगी;

(ख) महंगाई राहत में उक्त प्रत्येक 4 बिन्दुओं हेतु इस वृद्धि या गिरावट की गणना नीचे दिए गए अनुसार की जाएगी:-

क्र.सं.	मूल पेंशन स्केल प्रति माह	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)	(3)
(i)	₹ 3380 तक	0.25 प्रतिशत।
(ii)	₹ 3381 से ₹ 5420 तक	₹ 3380 का 0.25 प्रतिशत और ₹ 3380 से अधिक की मूल पेंशन का 0.21 प्रतिशत जोड़कर ।
(iii)	₹ 5421 से ₹ 5770 तक	₹ 3380 का 0.25 प्रतिशत और ₹ 3380 और ₹ 5420 के बीच की मूल पेंशन का 0.21 प्रतिशत और ₹ 5420 से अधिक की मूल पेंशन का 0.12 प्रतिशत जोड़कर ।
(iv)	₹ 5770 से अधिक	₹ 3380 का 0.25 प्रतिशत और ₹ 3380 और ₹ 5420 के बीच की मूल पेंशन का 0.21 प्रतिशत और ₹ 5420 और ₹ 5770 के बीच की मूल पेंशन का 0.12 प्रतिशत और ₹ 5770 से अधिक मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत जोड़कर।

(iii)(क) उन सदस्यों के मामले में जो बैंक की सेवा से 01.11.1997 (अवार्ड स्टाफ) अथवा 01.04.1998 (पर्यवेक्षी स्टाफ) के प्रथम दिन या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हों, 01.05.2005 को और उसके बाद से, औद्योगिक श्रमिकों हेतु अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1960=100 की शृंखला में 1684 बिन्दुओं के ऊपर की 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि हेतु महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा या प्रत्येक गिरावट हेतु महंगाई राहत, जैसा भी प्रकरण हो, की वसूली की जाएगी;

(ख) महंगाई राहत में उक्त प्रत्येक 4 बिन्दुओं हेतु इस वृद्धि या गिरावट की गणना नीचे दिए गए अनुसार की जाएगी:-

क्र.सं.	मूल पेंशन स्केल प्रति माह	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)	(3)
(i)	₹ 3550 तक	0.24 प्रतिशत।
(ii)	₹ 3551 से ₹ 5650 तक	₹ 3550 का 0.24 प्रतिशत और ₹ 3550 से अधिक की मूल पेंशन का 0.20 प्रतिशत जोड़कर ।
(iii)	₹ 5651 से ₹ 6010 तक	₹ 3550 का 0.24 प्रतिशत और ₹ 3550 और ₹ 5650 के बीच की मूल पेंशन का 0.20 प्रतिशत और ₹ 5650 से अधिक की मूल पेंशन का 0.12 प्रतिशत जोड़कर ।
(iv)	₹ 6010 से अधिक	₹ 3550 का 0.24 प्रतिशत और ₹ 3550 और ₹ 5650 के बीच की मूल पेंशन का 0.20 प्रतिशत और ₹ 5650 और ₹ 6010 के बीच की मूल पेंशन का 0.12 प्रतिशत और ₹ 6010 से अधिक मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत जोड़कर ।"

(ङ) उप-विनियम (15) के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात –

"(15)(i) 1.11.2007 को सेवानिवृत्त हो चुके या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के तिमाही औसत में 2836 अंकों से अधिक की हरेक 4 अंकों की वृद्धि के लिए या हरेक गिरावट के लिए, जैसा भी प्रकरण हो, मूल पेंशन के 0.15 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा या वसूली की जाएगी। (ii)) 01.11.2012 को सेवानिवृत्त हो चुके या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के तिमाही औसत में 4440 अंकों से अधिक की हरेक 4 अंकों की वृद्धि के लिए या हरेक गिरावट के लिए, जैसा भी प्रकरण हो, मूल पेंशन के 0.10 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा या वसूली की जाएगी।

आर. जयरामन, मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

[विज्ञाप-।।।/4/असाधारण/250/17]

टिप्पणः मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में 15.09.2014 की फा.सं. सीडीओ/पीएम/16/एसपीएल/1136 के तहत 18.09.2014 को प्रकाशित किए गए थे।

STATE BANK OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 4th October, 2017

No. BOD&GO/VKK/470.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (0) of sub-section (2) of section 50 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Board of the State Bank of India, after consultation with the Reserve Bank and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the State Bank of India Employees' Pension Fund Regulations, 2014, namely:—

- 1. (1) These regulations may be called the State Bank of India Employees' Pension Fund (Amendment) Regulations, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the State Bank of India Employees' Pension Fund Regulations, 2014, in regulation 23, —
- (A) in sub-regulation (2), for the provisos, the following provisos shall be substituted, namely:—

"Provided that the maximum amount of pension shall be increased for the members who retired on or after the 1st November,1987, from rupees two thousand four hundred per month to rupees three thousand seven hundred seventy-five per month (pro-rata in the case of part-time employees):

Provided further that the maximum amount of pension shall be increased for the members who retired or retire on or after the 1st November, 1992 (Award Staff) or the 1st July, 1993 (Supervising Staff) from rupees two thousand four hundred per month to rupees four thousand two hundred fifty per month (pro-rata in the case of part-time employees) after adjustment of dearness allowance on the basic pay up to 1148 points in the quarterly average of the All India Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100:

Provided also that with effect from the 1st March, 1999 the maximum amount of pension for the members who retired or retire drawing substantive salary in the Pay Scales effective from the 1st November, 1992 (Award Staff) or the 1st July, 1993 (Supervising Staff) and thereafter shall be computed till further amendments in this regard, as under—

- (a) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is up to rupees eight thousand five hundred per month, fifty per cent. of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service (pro-rata in the case of part-time employees); and
- (b) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is above rupees eight thousand five hundred per month, forty per cent of the average of monthly substantive salary drawn during

the last twelve months' pensionable service subject to minimum of rupees four thousand two hundred fifty (pro-rata in the case of part-time employees):

Provided also that with effect from the 1st November, 1997 (Award Staff) or the 1st April, 1998 (Supervising Staff), the maximum amount of pension for the members who retired or retire drawing substantive salary in the Pay Scales effective from the 1st November, 1997 (Award Staff) or the 1st April, 1998 (Supervising Staff) shall be computed, by arriving at the corresponding stage by dividing the average basic pay by 1684 and multiplying it by 1616, till further amendments in this regard, as under—

- (a) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is up to rupees thirteen thousand six hundred sixty-six per month, fifty per cent. of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service (pro-rata in the case of part-time employees); and
- (b) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is above rupees thirteen thousand six hundred sixty-six per month, forty per cent of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service subject to minimum of rupees six thousand eight hundred thirty-three (pro-rata in the case of part-time employees):

Provided also that with effect from the 1st May, 2005, the maximum amount of pension for the members who retired or retire drawing substantive salary in the Pay Scales effective from the 1st November, 1997 (Award Staff) or the 1st April, 1998 (Supervising Staff) shall be computed, as under—

- (a) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is up to rupees fourteen thousand two hundred forty per month, fifty per cent. of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service (pro-rata in the case of part-time employees); and
- (b) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is above rupees fourteen thousand two hundred forty per month, forty per cent of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service subject to minimum of rupees seven thousand one hundred twenty (pro-rata in the case of part-time employees):

Provided also that with effect from the 1st May, 2005, the maximum amount of pension for the members who retired or retire drawing substantive salary in the Pay Scales effective from the 1st November, 2002 shall be computed till further amendments in this regard, as under—

- (a) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is up to rupees twenty-one thousand forty plus Professional Qualification Pay plus Fixed Personal Pay per month, fifty per cent of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service (pro-rata in the case of part-time employees); and
- (b) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is above rupees twenty one thousand forty plus Professional Qualification Pay plus Fixed Personal Pay per month, forty per cent of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service subject to minimum of rupees ten thousand five hundred twenty plus half of Professional Qualification Pay plus half of Fixed Personal Pay wherever applicable (pro-rata in the case of part-time employees):

Provided also that with effect from the 1st November, 2007, the maximum amount of pension for the members who retired or retire drawing substantive salary in the pay scales effective from the 1st November, 2007 shall be computed till further amendments in this regard, as under—

- (a) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is up to rupees thirty-one thousand five hundred per month, at fifty per cent. of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service plus half of Professional Qualification Pay plus half of increment component of Fixed Personal Pay, wherever applicable (pro-rata in the case of part-time employees);
- (b) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is above rupees thirty-one thousand five hundred per month, at forty per cent. of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service subject to minimum of rupees fifteen thousand seven hundred fifty plus half of Professional Qualification Pay plus half of increment component of Fixed Personal Pay, wherever applicable (pro-rata in the case of part-time employees):

Provided also that with effect from the 1st November, 2012, the maximum amount of pension for the members who retired or retire drawing substantive salary in the Pay Scales effective from the 1st November, 2012 shall be computed till further amendments in this regard, as under—

- (a) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is up to rupees fifty-one thousand four hundred ninety per month, fifty per cent. of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service plus half of Professional Qualification Pay plus half of increment component of Fixed Personal Pay, wherever applicable (pro-rata in the case of part-time employees);
- (b) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is above rupees fifty-one thousand four hundred ninety per month, forty per cent. of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service subject to minimum of rupees twenty-five thousand seven hundred forty-five plus half of Professional Qualification Pay plus half of increment component of Fixed Personal Pay, wherever applicable (pro-rata in the case of part-time employees).";
- **(B) in sub-regulation (9), in clause (a), for the words and figures** "In the case of members who ceased to be in the Bank's pensionable service from the 1st November 1987 to the 31st October 1993", **the following words, figures and brackets** "In the case of members who ceased to be in Bank's pensionable service from the 1st November 1987 to the 31st October 1992 (Award Staff) or the 30th June, 1993 (Supervising Staff)" **shall be substituted;**
- (C) in sub-regulation (10), in clause (a), for the words and figures "In the case of members who retire from the Bank's service on or after 1st November 1993", the following words, figures and brackets "In the case of members who retire from the Bank's service on or after the 1st November 1992 (Award Staff) or the 1st July, 1993 (Supervising Staff)" shall be substituted;
- (D) for sub-regulation (12), the following shall be substituted, namely: —
- "(12) (i) The Dearness relief shall be allowed on full basic pension even after commutation.
- (ii)(a) in respect of employees who retired or retire on or after 1st November, 1997 (Award Staff) or the 1st April, 1998 (Supervising Staff), dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1616 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100;
- (b) such increase or decrease in dearness relief for every aforesaid four points shall be calculated in the manner given below: -

Sl.No.	Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)	(2)	(3)
(i)	up to Rs.3380	0.25 per cent.
(ii)	Rs.3381 to Rs.5420	0.25 per cent of Rs.3380 plus 0.21 per cent of the basic pension in excess of Rs.3380
(iii)	Rs.5421 to Rs.5770	0.25 per cent of Rs. 3380 plus 0.21 per cent of the difference between Rs.5420 and Rs.3380 plus 0.12 per cent of basic pension in excess of Rs.5420
(iv)	above Rs.5770	0.25 per cent of Rs.3380 plus 0.21 per cent of the difference between Rs.5420 and Rs.3380 plus 0.12 per cent of the difference between Rs.5420 and Rs.5770 plus 0.06 per cent of basic pension in excess of Rs.5770

(iii)(a) on and from the 1st May, 2005, in respect of employees who retired or retire on or after the 1st November, 1997 (Award Staff) or the 1st April, 1998 (Supervising Staff), dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1684 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100;

(b) such increase or decrease in dearness relief for every aforesaid four points shall be calculated in the manner given below: -

Sl.No.	Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)	(2)	(3)
(i)	up to Rs.3550	0.24 per cent.
(ii)	Rs.3551 to Rs.5650	0.24 per cent of Rs.3550 plus 0.20 per cent of the basic pension in excess of Rs.3550
(iii)	Rs.5651 to Rs.6010	0.24 per cent of Rs. 3550 plus 0.20 per cent of the difference between Rs.5650 and Rs.3550 plus 0.12 per cent of basic pension in excess of Rs.5650
(iv)	above Rs.6010	0.24 per cent of Rs.3550 plus 0.20 per cent of the difference between Rs.5650 and Rs.3550 plus 0.12 per cent of the difference between Rs.6010 and Rs.5650 plus 0.06 per cent of basic pension in excess of Rs.6010.";

(E) for sub-regulation (15), the following shall be substituted, namely: —

"(15)(i) In respect of employees who retired or retire on or after the 1st November, 2007, dearness relief on pension shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15 per cent of the basic pension;

(ii) In respect of employees who retired or retire on or after 1st November, 2012, dearness relief on pension shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.10 per cent of the basic pension."

R. JAYARAMAN, Chief General Manager (HR)

[ADVT.-III/4/Exty./250/17]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 18th September, 2014 *vide* F.No. CDO/PM/16/ SPL/1136 dated the 15th September, 2014.